Continuation Note Sheet

29-10-24

वकील उपस्थित। उभय वकील प्रतिवादी द्वारा
जवाब पेश नहीं करने पर जवाब होना मुतदा।
बहस किया जाता है वकील वादी द्वारा निवेदन
किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। बाद में तहसीलदार
श्रीगंगानगर को प्रस्ताव भेजा जाकर डिक्री
की जावे। वहां से जवाब पेश किया गया
वाद वादी प्रारंभिक रूप से स्वीकार किया जाकर
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया पत्रावली वास्ते इलाका विभाग
प्रस्ताव भिजवाने 11-11-24 को पेश हो।

11-11-24

वकील वादी उभय तहसीलदार श्रीगंगानगर
से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। श्री. पारख/वकील वादी
द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रस्ताव
पर No-objection अंकित करते हुए वाद मुताबिक
प्रस्ताव डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया
वाद वादी मुताबिक प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया स्टाम्प ड्यूटी पेश होने डिक्री पर
जारी किया जावे। वकील वादी द्वारा स्टाम्प ड्यूटी
प्रस्तुत की गई। डिक्री पत्रावली किया जाता है
पत्रावली दफ्तर से कम होकर अदालत
जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।